प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक–व–5–2015/ 3950
चण्डीगढ़ दिनांक 24/3/15

विषयः **Diversion of 0.0850 ha. of forest land in favour of Executive Engineer HSAM Board, Fatehabad for construction of approaches/bridges on Rattakhera Distry, and Ratia sub branch RD 10900 for Nathwan Burj road , under Forest Division and District Fatehabad Haryana(6151).**

संदर्भः आपका पत्र कमांक डी–III–6151/4528, दिनांक 26.02.2015।

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू 0.0850 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पौधे काटे जायेंगें। काटे गए वृक्षो की संख्या 12 से अधिक नही होगी । इसके काटे गए पौधो की सख्या 128 से अधिक नही होगी।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार फतेहाबाद–हसनपुन रोड, कि0मी0 12 से 20 पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 2,17,078/–रू (दो लाख, ईक्कीस हजार अठत्तर रूपये केवल) की राशि 170 लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर– हो जाना चाहिए।

(iv) जब कभी उच्चतक न्यायालय के आदेशानुसार NPV की राशि बढाई जायेगी तो प्रयोक्ता एजैन्सी इस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए बाध्य होगी।

(v) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्वेश्य के अलावा अन्य किसी उद्वेश्य के लिए नही किया जायेगा।

(vi) साथ लगते वन और वन भूति को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(vii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(ix) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जायेगा।

(ix) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. राज्य सरकार इन स्वीकृति को स्थागित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही है।

विशेष सचिव, 21/3/15
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

24/3/15

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद।